संपादकीय

न्यायपालिका की निष्पक्षता दांव पर

कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने और चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उसके बाद न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर सारे देश में बवाल शुरू हो गया है। उनका इस्तीफा मंजूर भी नहीं हुआ था। उसके पहले ही उन्होंने कह दिया, कि वह भाजपा के संपर्क में थे। वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के खिलाफ खुलकर आलोचना की। पिछले दो वर्षों में उन्होंने जो फैसले दिए उसमें से लगभग 14 फैसला पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ थे। हाईकोर्ट में उनके द्वारा दिए गए फैसले एक राजनैतिक पार्टी के पक्ष में गये। न्यायाधीश के पद पर रहते हुए उन्होंने मीडिया मे टीएमसी सरकार की आलोचना की। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस जारी करने में कोई कोताहि नहीं बरती। इससे स्पष्ट है, कि उनके केंद्र सरकार से जुड़े हुए तार बहुत मजबूत थे। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में जज रहते हुए उनके फैसले उनका व्यवहार और अब वहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा से, न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जिन पांच जजों ने राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। उन जजों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई शरद अरविंद बोबडे, वर्तमान सीजे डीवाई चंद्रचूड़ पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्हें भाजपा ने मनोनीत किया। डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया गया है। राम मंदिर निर्माण का फैसला देने वाले सभी जज सेवा निवृत्ति के बाद सरकार द्वारा तुरंत उपकृत किए गए हैं। अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की राजनीतिक निष्ठा और उनके फैसलों को लेकर दबे छुपे प्रतिक्रिया आती रही है। जिस तरह से अभिजीत गंगोपाध्याय ने समय पूर्व सेवा निवृत्ति लेकर भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पिछले दो वर्षों में उन्होंने जो फैसला ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हुए हैं वह विवाद में आ गये है। क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष न्याय मिलना संभव नहीं रहा। हालांकि यह भी कहा जाता है, कि कभी कोई व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होता है। न्यायाधीश भी कहीं ना कहीं किसी विचारधारा या आस्था से बंधा हुआ होता है। इसके बाद भी गुण दोष के आधार पर न्यायपालिका नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करती है। हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के प्रति लोगों की आस्था बनी हुई थी। अब जिस तरह के निर्णय न्यायापालिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जहां भाजपा की सरकारे हैं। अथवा जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। वहां की हाईकोर्ट से भाजपा के पक्ष में जो फैसले आ रहे हैं। उसके बाद से न्यायपालिका की साख को लेकर सारे देश में असमजंस का माहौल बनने लगा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का फैसला कौन सा जज देगा। इसका अनुमान पहले ही लगा लिया जाता है। न्यायपालिका के ऊपर सरकार का भय, दबाव और विचारधारा को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुखर होकर डायस पर बैठकर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आधे अधूरे फैसला दे रहे हैं। जमानत के मामले कई महीनों और वर्षों तक पेंडिंग रखे जा रहे हैं। उससे न्यायपालिका की साख आम जनता के मन में खत्म होती जा रही है। न्यायाधीशों का राजनीति के मैदान में उतरना, सेवा निवृत्ति के तुरंत बाद या समय पूर्व इस्तीफा देकर राजनीति में आना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है। गंगोपाध्याय का यह कहना कि उसके भाजपा नेताओं के साथ पहले से ही संपर्क बने हुए थे। इससे बड़ी अनैतिकता और क्या हो सकती है। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा किए गए कार्यों के बारे में न्यायपालिका द्वारा ही सही या गलत का निर्णय किया जाता है। लगभग 80 फ़ीसदी मुकदमे में सरकार संबधित होते है। प्रभावित व्यक्ति न्यायालयों से न्याय मिलने की आशा रहती थी। हाईकोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यदि सरकार के दबाव में आकर या सरकार से प्रभावित होकर फैसला करने लगेंगे। तो संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। वर्तमान में जांच एजेंसियां और सरकारी विभाग मनमानी कर रहे हैं। लोगों को महीनो और वर्षों तक जेलों में बंद करके रखा जा रहा है। सरकार की आलोचना करने पर नागरिकों को देशद्रोह के आरोप में वर्षों तक जेलों में बंद रखा जा रहा है। न्यायपालिका का सिद्धांत है, जेल अपवाद है, जमानत नागरिक का अधिकार है। यदि यह अधिकार खुद न्यायपालिका छीन रही है। ऐसी स्थिति में अब न्यायपालिका और नागरिक के भाग्य का भगवान ही मालिक है। जब-जब इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। उसके बाद अराजकता बढ़ती है। लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। सरकार और जनता के बीच में विरोध बढ़ता है। कानून व्यवस्था की स्थिति और सामाजिक तथा आर्थिक विकास भी बाधित होता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद राजनीति के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए ।यदि आते भी हैं तो कम से कम 3 साल से 5 साल तक की समयावधि का बंधन भी होना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया गया, तो न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास नहीं रह जाएगा। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बहुत खराब होगी ।लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की जडें मजबूत होती चली जाएंगी।

क्यों महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं?

डॉ नीलम महेंद्र

जिस दिन किसी भी क्षेत्र में आवेदक अथवा कर्मचारी को उसकी योग्यता के दम पर आंका जाएगा ना कि उसके महिला या पुरुष होने के आधार पर, तभी सही मायनों में हम महिला दिवस जैसे आयोजनों के प्रयोजन को सिद्ध कर पाएंगे। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में मानव के रूप में जन्म लेना एक दुर्लभ सौभाग्य की बात होती है। और जब वो जन्म एक स्त्री के रूप में मिलता है तो वो परमसौभाग्य का विषय होता है। क्योंकि स्त्री ईश्वर की सबसे खूबसूरत वो कलाकृति है जिसे उसने सृजन करने की पात्रता दी है।

सनातन संस्कृति के अनुसार संसार के हर जीव की भांति स्त्री और पुरुष दोनों में ही ईश्वर का अंश होता है लेकिन स्त्री को उसने कुछ विशेष गुणों से नवाजा है। यह गुण उसमें नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं जैसे सहनशीलता, कोमलता, प्रेम,त्याग, बलिदान ममता। यह स्त्री में पाए जाने वाले गुणों की ही महिमा होती है कि अगर किसी पुरुष में स्त्री के गुण प्रवेश करते हैं तो वो देवत्व को प्राप्त होता है लेकिन अगर किसी स्त्री में पुरुषों के गुण प्रवेश करते हैं तो वो दुर्गा का अवतार चंडी का रूप धर लेती है जो विध्वंसकारी होता है। किंतु वही स्त्री अपने स्त्रियोचित नैसर्गिक गुणों के साथ एक गृहलक्ष्मी के रूप में आनपूर्णा और एक माँ के रूप में ईश्वर स्वरूपा बन जाती है।

देखा जाए तो इस सृष्टि के क्रम को आगे बढाने की प्रक्रिया में जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने एक स्त्री को सौंपी हैं उनके लिए एक नारी में इन गुणों का होना आवश्यक भी है। लेकिन इसके साथ ही हमारी सनातन संस्कृति में शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह भी बताता है कि स्त्री और पुरूष एक दूसरे के पूरक हैं प्रतिद्वंद्वी नहीं और स्त्री के ये गुण उसकी शक्ति हैं कमजोरी नहीं। भारत तो वो भूमि रही है जहां प्रभु श्री राम ने भी सीता माता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ उनकी सोने की मूर्ति के साथ किया था। भारत की संस्कृति तो वो है जहाँ कृष्ण भगवान को नन्दलाल कहा जाता था तो वो देवकीनंदन और यशोदानन्दन भी थे। श्री राम दशरथ नन्दन थे तो कौशल्या नन्दन होने के साथ साथ सियावर भी थे। भारत तो वो राष्ट्र रहा है जहाँ मैत्रैयी गार्गी इंद्राणी लोपमुद्रा जैसी वेद मंत्र दृष्टा विदुषी महिलाएं थीं तो कैकई जैसी रानीयां भी थी जो युद्ध में राजा दशरथ की सारथी ही नहीं थीं बल्कि युद्ध में राजा दशरथ के घायल होने की अवस्था में उनकी प्राण रक्षक भी बनीं। लेकिन इसे क्या कहा जाए कि स्त्री शक्ति के ऐसे गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत के बावजूद वर्तमान भारत में महिलाओं को सामाजिक रूप सशक्त करने की दिशा में सरकारों को महिला दिवस मनाने जैसे विभिन्न प्रयास करने पढ़ रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि आज जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और लैंगिग समानता की बात करते हैं तो हम मुद्दा तो सही उठाते हैं लेकिन विषय से भटक जाते हैं। मुद्दे की अगर बात करें, तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम रख रही हैं। धरती हो या आकाश आईटी सेक्टर हो या मेकैनिकल समाजसेवा हो या राजनीति महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। और अपनी कार्यकुशलता के दम पर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा रही हैं।आज विश्व के अनेक देशों के शीर्ष पदों पर महिलाएं विराजमान हैं। इसके अलावा आज के आत्मनिर्भर भारत के इस दौर में अनेक महिला उद्यमी देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन यह तसवीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख है 2021 की एक सर्वे रिपोर्ट जिसमें यह बात सामने आती है कि 37 प्रतिशत महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। 85 फीसद महिलाओं का कहना है कि उन्हें पदोन्नति और वेतन के मामले में नौकरी में पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते। लिंकडइन की इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आज भी कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के मामले में 55 देशों की सूची में भारत 52 वें नम्बर पर है। इसे क्या कहा जाए कि हम वैश्विक स्तर पर महिला दिवस जैसे आयोजन करते हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बातें करते हैं लेकिन जब तनख्वाह, पदोन्नति, समान अवसर प्रदान करने जैसे विषय आते हैं तो हम 55 देशों की सूची में अंतिम पायदानों पर होते हैं।

जाहिर है कि जब इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो अनेक तर्क वितर्कों के माध्यमों से महिला सशक्तिकरण से लेकर नारी मुक्ति और स्त्री उदारवाद से लेकर लैंगिक समानता जैसे भारी भरकम शब्द भी सामने आते हैं। और यहीं हम विषय से भटक जाते हैं। क्योंकि उपरोक्त विमर्शों के साथ शुरू होता है पितृसत्तात्मक समाज का विरोध। यह विरोध शुरू होता है पुरुषों से बराबरी के आचरण के साथ। पुरुषों जैसे कपड़ों से लेकर पुरुषों जैसा आहार विहार जिसमें मदिरा पान सिगरेट सेवन तक शामिल होता है। जाहिर है कि तथाकथित उदारवादियों का स्त्री विमर्श का यह आंदोलन उदारवाद के नाम पर फूहड़ता के साथ शुरू होता है और समानता के नाम पर मानसिक दिवालियेपन पर खत्म हो जाता है।

हमें यह समझना चाहिए कि जब हम महिलाओं के लिए लैंगिग समानता की बात करते हैं तो हम उनके साथ होने वाले लैंगिग भेदभाव की बात कर रहे होते हैं। इस क्रम में समझने वाला विषय यह है कि अगर यह लैंगिग भेदभाव केवल महिलाओं द्वारा पुरुषों के समान कपड़े पहनने या फिर आचरण रखने जैसे सतही आचरण से खत्म होना होता तो अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे तथाकथित विकसित और आधुनिक देशों में यह कब का खत्म हो गया होता।

विपक्ष को भारी पड़ेगा 'मोदी का परिवार' अभियान

आशीष वशिष्ठ

20 सितंबर 2018 को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में आदिवासी जिले डूंगरपुर के सागवाड़ा में एक जनसभा में एक कहावत का उपयोग करते हुए राफेल मामले में प्रधानमत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने पीएम पद की गरिमा का खयाल भी नहीं रखा। राहुल गांधी ने कहा, 'गली-गली में शोर है, देश का चैकीदार चोर है।' राहुल गांधी की चैकीदार चोर की टिप्पणी के बाद पूरे देश में इस शब्द को लेकर ही आंदोलन शुरू हो गया था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने नाम के आगे 'मैं भी चैकीदार' जैसे शब्द लिखने शुरू कर दिए थे। बाद में, चौकीदार चोर है का नारा देने के कारण राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी।

3 मार्च 2024 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में इंडी अलांयस की रैली में बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी के परिवारवाद वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा था कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो पत्नी के साथ नहीं रहते। कैसे जानेंगे कि परिवार क्या होता है?

लालू प्रसाद आपत्तिजनक टिप्पणी के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के अदिलाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विपक्ष की ओर से उनके परिवार को लेकर किए गए हमले का परोक्ष रूप से जवाब दिया। पीएम ने कहा, 'मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। जिनका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है।' पीएम मोदी की ओर से पूरे देश को अपना परिवार बताए जाने के कुछ देर बाद ही भाजपा ने नए अभियान की शुरुआत कर दी। अभियान का नाम दिया गया 'मोदी का परिवार।' फिर क्या था बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बॉयो बदल दिया। वास्तव में, लालू के हमले को ही मोदी ने हथियार बनाते हुए अपने चुनावी अभियान में शामिल कर लिया। साल 2019 में भी पीएम मोदी ने विपक्ष के हमले से ही एक ऐसा हथियार निकाला और इस तरह अभियान चलाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सारी कोशिशें ध्वस्त हो गई थीं और भारतीय जनता पार्टी 2014 की तुलना में बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी की थी।

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने एक्स पर अपने बॉयो में 'मैं भी चौकीदार' लिखकर इस अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान तेजी से वायरल हो गया और बड़ी संख्या में बीजेपी के छोटे-बड़े नेताओं ने अपनी बॉयो में 'मैं भी चैकीदार' लिखना शुरू कर दिया। गली-गली पोस्टर लग गए. सिर पर टोपी आई जिस पर लिखा था- मैं भी चौकीदार. हर बड़ी हस्ती खुद को चैकीदार बताने लगी थी। चायवाला बनकर अगर पीएम रिक्शा, रेहड़ी-पटरी वाले तबके से जुड़ते हैं तो 'मैं भी चैकीदार' से उन्होंने एक बड़े तबके को खुद से जोड़ने की कोशिश की. वो प्रयोग सफल रहा।यह अभियान चुनाव खत्म होने तक जारी रहा। 2019 में जहां मैं भी चैकीदार नारा चर्चा में आया था तो वहीं अबकी बार मोदी का परिवार सुर्खियों में है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बार विपक्ष ने फिर से वही गलती कर दी है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर एक और हमला किया था। अय्यर ने कहा था कि वो चायवाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान पर भाजपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही थी। पीएम ने अय्यर की टिप्पणी पर जवाब अपने ही अंदाज में दिया था। मोदी ने चुनावी कैंपेन के दौरान खुद को चायवाला बताकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए थे। इस बयान को मुद्दा बनाया गया था और चाय पर चर्चा कार्यक्रम रखे गए थे। उस वक्त भी इसी तरह बीजेपी ने उनके इस बयान को लपका था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस वक्त ना सिर्फ तालकटोरा स्टेडियम के बाहर चाय बेची थी बल्कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति ही 'चाय' पर केंद्रित हो गई थी।

2007 में गुजरात चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को 'मौत का सौदागर' बताया था। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 2017 में पीएम मोदी को नीच इंसान बताया था, गुजरात चुनाव के दौरान दिया गया ये नारा भाजपा ने जातिवाद से जोड़ दिया था। पीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस के लोग मुझे नीच कहते हैं। गुजरात के बेटे के इन शब्दों का प्रयोग कांग्रेस को भारी पड़ेगा। प्रदेश के नतीजे इसके गवाह होंगे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार विजय हासिल की थी।

2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने 2014 में 282 सीटें जीती थी। वहीं 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने अकेले तीन सौ के आंकड़ों को पार किया और 303 सीटों पर जीत का परचम लहराने में सफल रही। अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ ने इस जीत को और प्रचंड बना दिया। एनडीए ने लोकसभा की कुल 353 सीटों पर कब्जा किया, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए 92 सीटों पर सिमट कर रह गया। कांग्रेस के अकेले प्रदर्शन की बात करें तो काफी खींच-तान के बाद पार्टी को महज 52 सीटों पर सफलता मिली। भाजपा की इस बड़ी जीत के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने एक बार फिर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। 2014 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस महज 44 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और उस बार भी सदन को विपक्ष का नेता नहीं मिल पाया था।

2019 के आम चुनाव में विपक्ष की ओर से राहुल गांधी पीएम मोदी के मुकाबले मैदान में थे। इस बार इंडी अलांयस मैदान में तो है, लेकिन उसकी ओर से कोई सर्वसम्मत चेहरा मैदान में नहीं है। विपक्ष को समझना चाहिए कि भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में चमत्कारी चेहरा है। उनकी नीतियों और फैसलों में खामी ढूंढकर जनता के सामने रखा जा सकता है लेकिन जब पीएम खुद को सबसे बड़ा ओबीसी नेता बता रहे हों, चुनाव करीब हो तब विपक्ष की एक गलती सारे समीकरण गड़बड़ा सकती है। अब परिवार वाले तंज पर ही देखिए कैसे पीएम ने रैली में भावुक अंदाज में देशभर के लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया। हां, पीएम ने कहा, 'मेरा भारत-मेरा परिवार, इन्हीं भावनाओं को लेकर मैं आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा।' पश्चिम बंगाल के बारासात में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन-बेटी कह रही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। सालों तक परिवार से विरक्त रहा हूं। लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है।' देश के राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटे तो पीएम मोदी पर लगातार कांग्रेस और विपक्ष अभद्र टिप्पणी और निजी हमले करते रहे हैं। कभी पीएम मोदी को रावण कहा गया तो कभी जहरीला सांप, कभी मौत का सौदागर कहा गया तो कभी चैकीदार चोर है।

न्यायपालिका में भी दीमक लगने लगी

एल.एस. हरदेनिया

पहले से ही दल-बदल चुनावी लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करने पर आमादा है। इसी बीच न्याय के क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिसने उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज ने एक ऐसा कार्य किया है जो पूरी तरह अक्षम्य है। जज के पद पर रहते हुए वे एक राजनीतक पार्टी के लगातार संपर्क में रहे। ये जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय। हाईकोर्ट से इस्तीफा देते हुये उन्होंने यह स्वीकार किया कि पिछले एक सप्ताह वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इस्तीफा देते हुये उन्होंने घोषणा की कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी में रहेंगे भले ही उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये टिकट मिले या नहीं। इस्तीफा देते हुये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भरपूर तारीफ की और कहा कि वे एक अच्छे इंसान हैं और उनके नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है।

न्यायपालिका के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण रूप से अलग-थलग रहे। उनका सामाजिक दायरा अदालत से घर और घर से अदालत तक सीमित रहना चाहिये। गंगोपाध्याय का व्यवहार इसके ठीक विपरीत रहा। पिछले कुछ दिनों से वे एक राजनीतिज्ञ की तरह बात कर रहे थे।

अभिजीत से पहले भी अनेक जजों ने त्यागपत्र देने के बाद राजनीति में प्रवेश किया है। वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव ने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार की थी। इसके अतिरिक्त भी अनेक न्यायाधीश राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। परंतु वे जब तक न्यायाधीश के पद पर थे तब तक उन्होंने यह अहसास नहीं होने दिया कि वे राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं।

यह काम सिर्फ अभिजीत गंगोपाध्याय ने किया है। उनके अनुसार वे राजनीति में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि ममता बेनर्जी के शासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता का इतना आतंक है कि लोग भ्रष्टाचार के मामले लेकर अदालत नहीं आ रहे हैं। इसलिये मैंने दूसरा रास्ता अपनाया है।

इसके बावजूद न्यायालयीन क्षेत्र के लोग अभिजीत द्वारा उठाये गये कदम को उचित नहीं मान रहे हैं। समस्या कुछ भी हो जजों को उसका हल कानून के रास्ते से निकालना चाहिये। अनेक पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों ने अभिजीत के कदम को न्यायालयीन परंपरा के विरूद्ध माना है। मेरी भी मान्यता है कि यदि जज पद पर रहते हुये राजनीति करने लगेंगे तो यह प्रजातंत्र को कमजोर करेगा। प्रजातंत्र में पक्षपात स्वाभाविक है परंतु न्यायपालिका तो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। यदि जज पक्षपाती होने लगेंगे तो यह नागरिकों के लिये बहुत खतरनाक होगा।

इस मामले में राजनीतिक पार्टियों का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भाजपा खुलेआम अभिजीत का समर्थन कर रही है। भाजपा ने यह भी स्वीकार किया कि अभिजीत उसके संपर्क में थे। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि अभिजीत के समान लोग राजनीति में आते हैं तो यह देश के हित में रहेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अभिजीत को भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने वाला योद्धा बताया। यदि वे कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत होगा।

परंतु यदि वे भाजपा में जाते हैं तो सिद्धांतः उनका समर्थन नहीं कर पायेंगे। एक समय चौधरी ने यह भी कह डाला कि यदि अभिजीत जैसे व्यक्ति बंगाल के मुख्यमंत्री बने तो वे इसका स्वागत करेंगे।

नित अभ्यास से दर्शन कर सकते हैं ईश्वर का

सभी शास्त्र कहते हैं कि बिना भगवान को प्राप्त किये मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए भगवान की तलाश के लिए कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद, कोई गुरूद्वारा, तो कोई गिरजाघर। लेकिन इन सभी स्थानों में जड़ स्वरूप भगवान होता है। अर्थात ऐसा भगवान होता है जिसमें कोई चेतना नहीं होती है।

असल में भगवान की चेतना तो अपने भक्तों के साथ रहती है इसलिए मंदिर में हम जिस भगवान को देखते हैं वह मौन होकर एक ही अवस्था में दिखता है। जब हमारी चेतना यानी इन्द्रियां अपने आस-पास ईश्वर को महसूस करने लगती है तब हम जहां भी होते हैं वहीं ईश्वर प्रकट दिखाई देता है। उस समय भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब व्यक्ति के साथ चल रही भगवान की चेतना व्यक्ति के मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर में मौजूद ईश्वर की प्रतिमा में समा जाती है और मूक बैठी मूर्ति बोलने लगती है। यह उसी प्रकार होता है जैसे मृत शरीर में आत्मा के प्रवेश करने पर शरीर में हलचल होने लगती है। शरीर की क्रियाएं शुरू हो जाती है।

मंदिर में विराजमान मूर्ति वास्तव में एक मृत शरीर के समान है। मृत की पूजा करें अथवा न करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति वही कर सकता है जिसमें चेतना हो प्राण हो। इसलिए तीर्थों में भटकने की बजाय जिस देवता की उपासना करनी हो उसे अपनी आत्मा से ध्यान करें उनकी आत्मा अर्थात परमात्मा से संपर्क करें, परमात्मा की पूजा करें तो, जो फल वर्षों मंदिर यात्रा से नहीं मिल सकता, वही फल कुछ पल के ध्यान से मिल सकता है।

क्या ऑनलाइन शापिंग भी असर डाल सकती है पर्यावरण पर

रमेश शर्मा

आधुनिक उपभोक्तावाद के युग में तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग बाजार ग्राहकों के लिए तो काफी सुविधाजनक हो रहा है, मगर यह भी एक सच्चाई है कि इस क्षेत्र में उपयोग होने वाले पैकेजिंग कॉर्टन बनाने में करोड़ों वृक्षों की बलि चढ़ जाती है।

कोविड की महाभारी के साथ पूरी दुनिया में जिस तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ा है, उसने नए-नए रिकार्ड कायम कर दिए हैं। खास बात तो यह है कि कोविड के बाद भी ऑन- लाइन शॉपिंग के चलन ने बेहिसाब तरक्की हासिल की है। अभी भी इस सेक्टर ने अपनी गति बनाई रखी है। हालात तो ये है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग लोगो की लत बन चुकी है। पिछले एक दशक से तो ऑन लाइन शॉपिंग ने वैश्विक स्तर पर बढ़ी तेजी से प्रगति हासिल की है। अमेजान, वालमार्ट इत्यादि बड़ी कंपनियों के साथ-साथ कई छोटी बड़ी कंपनियों ने ऑनलाइन व्यवसाय को अपनाकर रिकार्ड तोड़ विक्री हासिल की है और करती जा रही हैं।

डिजीटल क्रांति के दम पर फैलता बाजार पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर रहा है। कुछ साल पहले का परिदृश्य देखें तो वैश्विक स्तर पर जून 2020 में वैश्विक खुदरा ई-वाजार 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में भी इसमें कमी नही आई क्योंकि 2020 के बाद से ई- कॉमर्स मार्केट से खरीदना लोगो की लत मे तब्दील हो चुका है। बढ़ता ई- कामर्स बाजार, मगर पर्यावरण के लिए नुकसानदेह

यह बाजार आर्थिक नजरिए से तो से काफी अच्छा है, मगर इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो हमारे पृथ्वी ग्रह के पर्यावरण के लिए ये बाजार बहुत नुकसान-देह है। प्रोडक्ट पैकेजिंग काफी तादाद में कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। शिपिंग कार्टन की अगर 240 मिलियन टन का निर्माण होता है तो उसमें 30 करोड़ पेड़ो को गूदे में बदल दिया जाता है। अगर 86 मिलियन टन प्लास्टिक पैकेजिंग का निर्माण किया जाए तो उसमें से बमुश्किल 14 फीसदी ही रिसाइकल किया जाता है। वैश्विक स्तर के ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अब अगर शिपिंग उत्सर्जन को देखें, तो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ये हमारे पर्यावरण पर भारी नुकसान करता है। ई-कॉमर्स गुड्स के परिवहन पर अगर वैश्विक स्तर पर दृष्टि डालें तो इस परिवहन से बेहिसाब मात्रा में कार्बन डाइ आक्साइड का उत्सर्जन होता है। वर्ष 2020 में शिपिंग और उत्पाद वापसी में कुल ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन का 97 प्रतिशत हिस्सा था। ग्राहकों की सुविधा लेने की आदत ऐसी ही रही तो 2030 तक डिलीवरी करने वाली गाड़ियों की संख्या 7.2 मिलीयन वाहनों तक पहुंच जाएगी। नतीजा ऐसा होगा कि 6 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइ आक्साइड गैस उत्सर्जित होगी जो पूरी दुनिया के पर्यावरण को भारी मात्रा में प्रदूषित करेगी। ग्राहकों की ऑनलाइन शापिंग की लत में तो कभी नहीं आएगी, मगर शिपिंग मात्र ही एक समस्या नही है। समस्या प्रोडक्ट रिटर्न की भी है। अगर 2030 के आने वाले आंकड़ों को नजर अंदाज किया गया और ऑनलाइन शापिंग के चलन में प्रोडक्ट पैकेजिंग पर ध्यान ना देकर किसी विकल्प की तलाश नहीं करी गई तो पूरी दुनिया को भारी प्रदूषण का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वायु प्रदूषण से दस में से एक व्यक्ति की मौत होती है।

> वर्ष 2020 में ई कॉमर्स मार्केट वैश्विक स्तर पर तकरीबन 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। अभी ऑनलाइन शॉपिंग ग्राहकों की आदत नही लत में बदल चुकी है। मगर भयावह सच्चाई यह भी है, कि ऑनलाइन शॉपिंग में इस्तेमाल होने वाला कार्टन करोड़ो पेड़ों की बलियां लेता है। वहीं दूसरी तरह टनों की मात्रा में जहरीली गैस उत्सर्जित करता है।